न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 35/2017 – निगरानी

1. हनुमान प्रसाद पुत्र मांगीलाल शर्मा निवासी फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा	बनाम	1. भागचन्द पुत्र रतनलाल अग्रवाल निवासी फुलियाखुर्द 2. ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द पंचायत समिति शाहपुरा 3. ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द पंचायत समिति शाहपुरा जरिये ग्राम सचिव ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द पं.सं. शाहपुरा जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी आदेश ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द पं.सं. शाहपुरा जिला भीलवाडा
पटटा सं. 5 संकल्प सं. 01 दिनांक 05.06.2017

उपस्थित –

1. श्री सुनिल पारीक अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकार सं. 01 से लगायत 03 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 19.02.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार सं. 01 को गैर निगराकार सं. 02 एवं 03 द्वारा एक आवासीय भूमि का पटटा सं. 5 संकल्प सं. 01 दिनांक 05.06.2017 के पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शिविर 2017 में नपती 12 बाई 24 फीट जिसके पड़ौस पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में उदा जाट, उत्तर में हजारी जाट, दक्षिण में प्रहलाद तोषनीवाल के मध्य का जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्व किया गया हैं। प्रश्नगत जायदाद कृषि भूमि में स्थित होकर मकान बने हुए हैं, जिसे आबादी भूमि मानकर जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । तथाकथित पटटे जारी करने हेतु पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम के नियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना नहीं हुई है। जल्दबाजी में कृषि भूमि में स्थित मकान को आबादी भूमि मानकर पटटा जारी किया हैं, जो नियम विपरीत होने व विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं । अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पटटा सं. 5 दिनांक 05.06.2017 को निरस्त कराया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 09.10.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत फुलियाखुर्द से पत्रावली

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । गैर निगराकार बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 8 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर निगराकार सं. 01 को गैर निगराकार सं. 02 एवं 03 द्वारा एक आवासीय भूमि का पटटा सं. 5 संकल्प सं. 01 दिनांक 05.06. 2017 के पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शिविर 2017 में नपती 12 बाई 24 फीट जिसके पड़ौस पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में उदा जाट, उत्तर में हजारी जाट, दक्षिण में प्रहलाद तोषनीवाल के मध्य का जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्व किया गया हैं। प्रश्नगत जायदाद कृषि भूमि में स्थित होकर मकान बने हुए हैं, जिसे आबादी भूमि मानकर जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । तथाकथित पटटे जारी करने हेतु पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम के नियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना नहीं हुई है। जल्दबाजी में कृषि भूमि में स्थित मकान को आबादी भूमि मानकर पटटा जारी किया हैं, जो नियम विपरीत होने व विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पटटा सं. 5 दिनांक 05.06.2017 को निरस्त कराया जावे ।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । संकल्प सं. 01 दिनांक 05.06.2017 ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द में भागचन्द पुत्र रतनलाल अग्रवाल निवासी फुलिया खुर्द के नाम पर 12 बाई 24 वर्गफीट कुल 288 वर्ग फीट का भूखण्ड का बापी पटटा जारी किया।

157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं –

अति. जिला कलेक्टर ...ड़ा (राज.)

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा ।

(i) 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षैत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में 100/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल के लिए, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का

25 प्रतिशत ।

पंचायत राज सामान्य नियम 157 क व ख में ग्राम पंचायत को अपनी आबादी भूमि में निर्मित पुश्तैनी मकानों का पट्टा जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। नियम 157 क के अंतर्गत 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित मकान के लिये 100/–रू. व नियम 157 ख में 50 वर्षों के दौरान निर्मित मकान के लिये 200/– रू. पट्टा फीस निर्धारित होकर पट्टा जारी करने की नियमों में व्यवस्था दी गयी है ।

ग्राम फुलिया खुर्द पंचायत समिति शाहपुरा की पत्रावली सं. 10 दिनांक 05.06.2017 श्री भागचन्द पुत्र रतनलाल अग्रवाल निवासी फुलिया खुर्द के नाम की पुश्तैनी मकान के पटटे संबंधी पत्रावली के परीक्षण से प्रकट होता हैं कि भागचन्द अग्रवाल ने पुराने पुश्तैनी मकान का पटटा दिलवाने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द के मौका निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 20.04.2017 में प्रार्थी का मकान पुश्तैनी होना एवं मकान आबादी भूमि में स्थित होना अंकित किया है। पुश्तैनी मकान 12 बाई 24 वर्ग फीट क्षैत्रफल का हैं । नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गयी । कमेटी द्वारा मौका पर्चा तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया । ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145,146,147,148,149 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में पटटा जारी किया हैं। निगराकार ने अपनी निगरानी के समर्थन में उक्त जारी पटटे की भूमि के कृषि भूमि में होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती हैं। ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द संकल्प सं. 01 दिनांक 05.06.2017 पटटा सं. 5 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)